



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई०

माघ 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

कृषि अनुभाग

संख्या 338/कृषि/2000-2001

देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प० आ०-013

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित चर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 26 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चर्वरकों का मिश्रण और चर्वरकों का विशेष मिश्रण तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वीकृत या नवीनीकृत करने के प्रयोजनार्थ अपर निदेशक, कृषि एवं भूमि संरक्षण (उत्तरांचल) को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

(डा० आर० एस० टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English version of the notification no. 338, dated February 13, 2001.

No.338

Dated Dehradun, February 13, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers under Clause 26 of Fertilizer (Control) Order, 1985 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor appoints the Additional Director Agriculture & Soil Conservation, Uttaranchal as the Registering Authority for issue of Registration Certificate or Renewal for manufacturing the mixture of fertilizer and special mixture of fertilizer with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By Order,

(Dr. R.S. Tolia)

Principal Secretary & Commissioner,
Van Evam Gramya Vikas.